सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 760 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 सितम्बर, 2015

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-8615, दिनांक-30 दिसम्बर, 2011; पत्रांक-1992, दिनांक 4 मार्च, 2013; पत्रांक-1610, दिनांक 20 फरवरी, 2014; पत्रांक-4736, दिनांक-27.05.2014(अ0स0प0) तथा संकल्प सं0-9461, दिनांक-19 सितंबर, 2014.

2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-4726, दिनांक 2 अगस्त, 2011.

3. उपायुक्त, गुमला का ज्ञापांक-575(ii)/स्था0, दिनांक 13 जून, 2011.

4. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-10/2015, दिनांक 20 जनवरी, 2015.

संख्या- 5/आरोप-1-382/2014 का॰-8129--श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच, क्रमांक-27/86, गृह जिला- राँची), के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड के पत्रांक-4726, दिनांक 2 अगस्त, 2011 के माध्यम से उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक-575(ii)/स्था0, दिनांक 13 जून, 2011 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोपों हेतु तत्कालीन उप मुख्य(ग्रामीण विकास विभाग) मंत्री द्वारा श्री किशोर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी है। प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं:-

1. बसिया प्रखण्ड के मोरेंग पंचायत में इंदिरा आवास योजना में बरती गयी अनियमितता की जाँच सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला से कराई गई। इनके जाँच-प्रतिवेदन, दिनांक 6 अगस्त, 2010 एवं दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना में प्रथम अग्रिम के रूप में 9 लाभुकों (चान्दो देवी, कुलसा बीबी, सकीना बीबी, नीतिश देवी, विमला कुमारी, करीमन बीबी, जुलेखा बीबी, अलीन बीबी एवं जैमुन बीबी) को कुल 157500 (एक लाख संतावन हजार पाँच सौ) रूपये का भुगतान किया गया है, परंतु जाँच के समय तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। इस प्रकार एक बड़ी सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

2. मोरेंग ग्राम में सबुर देवी, पति- बन्नु साहू के निर्मित आवास का उपयोग खटाल के रूप में किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि इनके पास पूर्व से रहने योग्य मकान उपलब्ध है। इस प्रकार श्री किशोर द्वारा लाभुकों के चयन में शिथिलता बरती गयी है।

3. मोरेंग पंचायत अंतर्गत कन्दरी देवी, पति-रतिया लोहार, ग्राम-किंदिरकेला, योजना संख्या-23(2008-09), जिन्हें वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी, के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 2 सितम्बर, 2010 को प्रथम अग्रिम 17,500.00 रू0 एवं दिनांक 17 जून, 2010 को 16,750.00 रू0 का चेक इनके द्वारा पंचायत सेवक की अनुशंसा पर निर्गत किया गया है। जाँच के डर से इनके द्वारा अब तक उक्त चेक को लाभुक को

हस्तगत नहीं कराया गया है। लाभुक का जनगणना मकान सं0-88 है। इंदिरा आवास को देखने से प्रतीत होता है कि यह पूर्व का ही निर्मित आवास है। इस तरह इनके द्वारा पुराने घर को ही नया इंदिरा आवास का रूप देते हुए सरकारी राशि के गबन का पूर्ण प्रयास किया गया है।

4. इंदिरा आवास लाभुक श्रीमती देवन्ती देवी/रामसुन्दर साहू को प्रथम अग्रिम 17,500.00 रूपये एवं द्वितीय अग्रिम दिनांक 4 जून, 2010 को चेक के माध्यम से पंचायत सेवक की अनुशंसा के आधार पर 12,500.0 रू0 कुल 30000(तीस हजार रूपये) का भुगतान किया गया, किन्तु जाँच के समय तक लाभुक द्वारा आवास निर्माण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रथम किस्त में उपलब्ध कराई गयी राशि (मो0 17500रू0) का लाभुक द्वारा उपयोग किये बिना ही व्यक्तिगत लाभ हेतु लाभुक को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया जो इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कंडिका-4.10 में निहित निर्देशों का स्वेच्छा से उल्लंघन किया गया है।

5. दिनांक 1 अप्रैल, 2010 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 1019 आवास निर्माण लंबित थे। अभिकरण कार्यालय द्वारा बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद इस महत्त्वाकांक्षी योजना को ससमय पूर्ण नहीं किया गया व इनमें से 329 योजनाओं को लंबित रखा गया।

6. इंदिरा आवास योजनाओं के भौतिक जाँच-प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं के आलोक में उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक-1642(ii)/गो0, दिनांक-17 अगस्त, 2010 द्वारा श्री किशोर से पूछे गये स्पष्टीकरण का उनके पत्रांक-740(ii), दिनांक 6 सितम्बर, 2010 द्वारा भ्रामक उत्तर दिया गया। पुनः अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक-1807(ii), दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा बिन्दुवार स्पष्टीकरण उपस्थापित करने के निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

7. मुख्य सचिव, झारखण्ड के निदेशानुसार प्रत्येक पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2010-11 में कम से कम 100.00 लाख रूपये का व्यय सुनिश्चित किया जाना था। बसिया प्रखण्ड में कुल 15 पंचायत हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह अप्रैल 2010 एवं मई 2010 तक के लिये

250 लाख रूपये निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध इनके द्वारा मात्र 30.33 लाख रूपये ही व्यय किया गया था। पुनः व्यय की समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक-1076(ii)/जि0ग्रा0, दिनांक 02 जून, 2010 द्वारा उन्हें माह-जून से अगस्त-सितंबर से नवंबर एवं दिसंबर से मार्च तक quarterly लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप इनके द्वारा न तो मानव दिवस का सृजन कराया गया है और न व्यय ही सुनिश्चित किया गया है। बसिया प्रखण्ड के विभिन्न आयामों की उपलब्धि का त्ंदापदह लगातार चार माह तक निकृष्टतम रहा है।

8. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के ज्ञापांक-1241, दिनांक 10 जुलाई, 2009 द्वारा प्रखण्ड स्तर पर शत-प्रतिशत योजनाओं के निरीक्षण हेतु निदेश दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा अब तक निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा प्रखण्ड में कार्यान्वित हो रहे योजनाओं का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया गया है, जिससे योजनाओं के प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

9. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-7155, दिनांक 5 अगस्त, 2009 एवं अभिकरण कार्यालय के पत्रांक-269, दिनांक 13 फरवरी, 2010 व जिला समन्वय समिति की बैठक में निदेश दिये जाने के बावजूद इनके द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल निर्गत व प्राप्ति पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। निर्धारित तिथि को न तो मस्टर रोल निर्गत किये जाते हैं न प्राप्त किये जाते हैं।

10. वित्तीय वर्ष 2010-11 में वृक्षारोपण की 39, कूप निर्माण की 376, तालाब निर्माण की 6, भूमि समतलीकरण की 20 एवं मिट्टी-मोरम की 19 योजनाएँ स्वीकृत की गयी थीं। निरीक्षण के क्रम में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि बहुत सारी योजनाओं में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण जिले की उपलब्धि भी प्रभावित हुई है।

11. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् जिलान्तर्गत दूसरे प्रखण्डों द्वारा मनरेगा मद में राशि की माँग किये जाने पर जिला स्तर पर राशि उपलब्ध नहीं होने तथा बसिया प्रखण्ड में

अत्यधिक राशि उपलब्ध होने के फलस्वरूप उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक-1876(ii), दिनांक 04 सितम्बर, 2010 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि 2 माह के लिए संभावित व्यय का आकलन कर शेष राशि अभिकलन कार्यालय को वापस कर दिया जाय। अभिकरण कार्यालय के पत्रांक-1952(ii), दिनांक 14 सितम्बर, 2010 एवं अनुवर्ती स्मार-पत्र द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद इनके द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण अन्य प्रखण्डों में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ एवं ससमय पारिश्रमिक भुगतान में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह इनके स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है।

12. अभिकरण कार्यालय के ज्ञापांक-1217, दिनांक 19 जून, 2010 द्वारा MIS प्रविष्टि की गति धीमी होने के कारण दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, लेकिन इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, जो अनुशासनहीनता का द्योतक है। पुनः अभिकरण कार्यालय के ज्ञापांक-2386(ii), दिनांक 22 नवम्बर, 2010 के माध्यम से विस्तृत बिन्दुवार स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण का जवाब श्री किशोर पत्रांक-921;पपद्ध, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 द्वारा समर्पित किया गया, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-8615, दिनांक-30 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री किशोर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, तत्कालीन अंचल अधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के पत्रांक-126, दिनांक 21 फरवरी, 2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री किशोर से प्राप्त स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-3050, दिनांक 31 मार्च, 2012 द्वारा उपायुक्त, गुमला को भेजते हुए अपना मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक-1992, दिनांक 04 मार्च, 2013, पत्रांक-1610, दिनांक-20 फरवरी, 2014 तथा अर्द्ध सरकारी पत्रांक-4736, दिनांक-27 मई, 2014 द्वारा उक्त हेतु स्मारित भी किया गया परंतु मंतव्य अप्राप्त रहा। चूँकि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा बार-बार श्री किशोर के विरूद्ध कृत कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया जा रहा था, अतः उपायुक्त, गुमला का मंतव्य अप्राप्त रहने की दशा में विभागीय संकल्प संख्या-9461, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री किशोर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी,

जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक-10/2015, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। कार्यवाही के दौरान श्री किशोर द्वारा दिया गया बचाव-बयान का सार निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1. जाँच के समय 9 इंदिरा आवास ऐसे थे, जिन पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। प्राप्त निर्देश के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए उपर्युक्त सभी योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया के पत्रांक-740(ii), दिनांक 6 सितम्बर, 2010 के माध्यम से सभी योजनाओं को प्रारंभ किये जाने की सूचना उपायुक्त, गुमला को दे दी गयी थी।

आरोप संख्या-2. इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि 'खटाल' शब्द का प्रयोग तार्किक नहीं है। 'खटाल' एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसमें दूध देने वाले जानवरों का समूह होता है। इंदिरा आवास सामान्यतः दो कमरे का होता है, लेकिन लाभुक ने अपनी आवश्यकतानुसार तीन कमरों का मकान बनवाया एवं कमरे में अपने घरेलू उपयोग के बैल एवं कुछ बकरियाँ बाँधी।

आरोप संख्या-3. इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जांचकर्ता खुद ही स्पष्ट नहीं है कि घर पुराना है या नया। तथ्य यह है कि दिनांक 2 सितम्बर, 2009 को इस योजना की प्रथम किस्त की राशि निर्गत की गयी। जाहिर है लाभुक ने कार्य जल्दी समाप्त किया हो, क्योंकि जाँच-प्रतिवेदन लगभग 1 वर्ष बाद 20 अगस्त, 2010 को आया। इस अंतराल के कारण ही जाँचकर्ता को भ्रम हुआ प्रतीत होता है। जहाँ तक जनगणना मकान नं0 अंकित होने का प्रश्न है, तथ्य यह है कि आवास के जाँच के ठीक पूर्व जनगणना का प्रथम चरण सम्पन्न हुआ था, जिसमें वैसी किसी संरचना, जिसमें छत हो, को मकान माना गया था एवं ऐसी संरचनाओं को मकान संख्या दी गयी थी।

आरोप संख्या-4. इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि पंचायत सेवक द्वारा लाभुक के आवास की दीवाल पूर्ण होने की सत्यापित फोटो के साथ द्वितीय अग्रिम की अनुशंसा की गयी

थी(जाँच रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है)। इस संबंध में यदि चूक हुई है तो पंचायत सेवक के द्वारा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में मेरे द्वारा प्रक्रिया के पालन का पूरा ध्यान रखा गया है। तथ्य यह है कि जाँच के पश्चात् कार्य प्रारंभ कराया गया एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया के पत्रांक-740(ii), दिनांक 06 सितम्बर, 2010 द्वारा उपायुक्त, गुमला को प्रेषित की गयी।

आरोप संख्या-5. इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि भले ही उक्त तिथि तक शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल न किया जा सका था, परंतु जाँच प्रतिवेदन से ही स्पष्ट है कि लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं थी। यह भी ध्यातव्य है कि किसी भी प्रखण्ड द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति उक्त तिथि तक नहीं की गयी थी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रखण्ड की उपलब्धि शत-प्रतिशत के करीब रही एवं योजनाओं को पूर्ण करने की अवधि का आधार वित्तीय वर्ष ही होता है।

आरोप संख्या-6. मेरे द्वारा पत्रांक-747(ii) दिनांक 06 सितम्बर, 2010 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब देकर उपायुक्त महोदय को संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया गया था, जिसे उनके द्वारा अकारण अस्वीकार कर दिया गया। पुनः उसी विषय पर उप विकास आयुक्त के माध्यम से स्पष्टीकरण माँगा गया। उक्त पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण उसका अनुपालन नहीं किया जा सका। द्वितीय स्पष्टीकरण के संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र से ज्ञात हुआ।

आरोप संख्या-7. इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि प्रथम दो चतुर्थांश में बसिया प्रखण्ड की उपलब्धि तय लक्ष्य के अनुरूप ही रहा, क्योंकि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राशि देर से प्राप्त हुई तथा राशि प्राप्त होने के बाद वर्षा ऋतु की शुरूआत हो गयी। फिर भी आरोप विवरणी से ही यह स्पष्ट है कि बसिया प्रखण्ड की प्रगति जिले में निकृष्टतम नहीं है। द्वितीय चतुर्थांश वर्षा ऋतु होता है, जिसमें खेती का कार्य प्रमुखता से होता है। कृषि प्रधान प्रखण्डों में मजदूरों का अभाव होना सुनिश्चित है। वर्षा ऋतु के पश्चात् कार्य में तेजी लाई गई एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तत्कालीन 11 प्रखण्डों में बसिया को जिले की समीक्षा बैठक में उच्च

स्थान प्राप्त हुआ। हमारा प्रदर्शन जिले की अपेक्षा के अनुरूप काफी अच्छा रहा। कुल आवंटन 4.35 करोड़ के विरूद्ध प्रखण्ड का व्यय 4.33 करोड़ रहा। अतः उपर्युक्त आरोप तथ्यहीन एवं निराधार है।

आरोप संख्या-8. जिले से प्राप्त सभी निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः मेरे द्वारा ससमय किया गया। इसी संदर्भ में मेरे साथ-साथ BPO's/AE/JE's के द्वारा भी निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला को सामान्य पत्राचार एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। स्पष्ट है कि मेरे विरूद्ध लगाये गये उपर्युक्त आरोप पूर्वाग्रह एवं दुर्भावना से प्रेरित है।

आरोप संख्या-9. मस्टर रोल का संधारण जिले से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप ससमय किया गया एवं ससमय MIS भी किया गया है।

आरोप संख्या-10. अनावृष्टि के कारण वृक्षारोपण की योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं को प्रारंभ कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि वृक्षारोपण की योजनाओं को तत्कालीन वर्षा ऋतु में इसलिए शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि से योजनाएँ तत्कालीन वर्षा ऋतु के हिसाब से देर से स्वीकृत हुईं एवं ट्रेंच कटिंग, गड्ढा खोदने एवं पौधा मंगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अतः ये कार्य दिसंबर के द्वितीयार्द्ध में शुरू की गयीं। इसके अतिरिक्त ओकबा पंचायत के एक तालाब में उग्रवादी गतिविधियों के कारण उस समय तक कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका था, जिसकी सूचना जिले को दे दी गयी थी।

आरोप संख्या-11. इस दौरान की गयी समीक्षा बैठक में अधिकाधिक योजनाओं को मानक प्राक्कलन के अनुरूप पूर्ण कर अभिलेख बन्द करने का निर्देश भी प्राप्त हुआ था, जिसका अनुपालन मेरे द्वारा किया गया था। प्रखण्ड बसिया को 300 योजनाओं को पूर्ण कर उनका अभिलेख बंद करने का लक्ष्य जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा 504 योजनाओं को इस दौरान पूर्ण कर अभिलेख बंद कर उसकी सूचना जिले को दे दी गयी थी। इस प्रकार अभिलेख बंद करने की मेरी उपलब्धि 100 प्रतिशत रही।

आरोप संख्या-12. उपरोक्त सभी बिन्दुओं के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसिया के पत्रांक-921(ii) दिनांक 07 फरवरी, 2010 के माध्यम से जवाब समर्पित किया गया था, जिसे अकारण अस्वीकार कर दिया गया, जो समझ से परे है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन का सार इस प्रकार है:-

आरोप संख्या-1. योजना कार्यारंभ में हुए विलंब का कोई औचित्य आरोपित पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में नहीं बताया है। अतः योजना कार्यान्वयन में प्रारंभ में शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या-2. श्रीमती सबुर देवी के नवनिर्मित इंदिरा आवास का उपयोग इस योजना के सत्यापन के दौरान जानवर बाँधने के लिए करते हुए पाया गया था, परंतु सुनवाई के दौरान ऐसा कोई ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि श्रीमती सबुर देवी इंदिरा आवास के लाभुक होने की अर्हता नहीं रखती थी, लाभुक का चयन भी आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल के पूर्व का है। ग्रामीण परिवेश में लाभुक अपने साथ ही अपने आवास में अपना मवेशी भी बाँधते हैं। अतः गलत व्यक्ति के चयन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या-3. इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए केवल एक साक्ष्य- सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2010 को इंदिरा आवास योजना का भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन है, जिसमें उल्लेख है कि "इंदिरा आवास को देखने से लगता है कि यह पूर्व का निर्मित आवास है। द्वितीय किश्त भुगतान के लिए तैयार चेक का भुगतान रोक लिया गया है।" जाँच-प्रतिवेदन में अंकित तथ्य के समर्थन में स्थानीय लोगों से पूछताछ पर आधारित तथ्य एवं योजना का फोटोग्राफ बचाव-पक्ष में अंकित तथ्य के जाँच उपायुक्त, गुमला के अनुसार संभव नहीं है। अतः संदेह का लाभ आरोपित पदाधिकारी को दिया जा सकता है। आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप संख्या-4. सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के जाँच की तिथि 20 अगस्त, 2010 तक इस योजना का कार्यारंभ नहीं हुआ था। इसके पश्चात् आरोपित पदाधिकारी ने योजना कार्यारंभ कराकर इसकी सूचना अपने पत्रांक-740(ii), दिनांक

6 सितम्बर, 2010 द्वारा उपायुक्त, गुमला को दे दी है। प्रथम किश्त अग्रिम राशि का बगैर उपभोग हुए द्वितीय किश्त की राशि संबंधित पंचायत सेवक की अनुशंसा पर दिनांक 4 जून, 2010 को निर्गत की गयी है। इस चूक को आरोपित पदाधिकारी ने स्वीकार किया है। इस चूक के लिए पंचायत सेवक के साथ-साथ आरोपित पदाधिकारी भी जिम्मेवार हैं। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या-5. वर्ष 2009-10 में ली गयी इंदिरा आवास योजना को 31 मार्च, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य था। वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं की जा सकी थी। आरोपित पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक इन योजनाओं को पूर्ण नहीं करा सकने के संबंध में इसके कोई औचित्य का उल्लेख नहीं किया है। अतः आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप संख्या-6. समीक्षा से प्रथम स्पष्टीकरण का जवाब उपायुक्त, गुमला को प्राप्त कराए जाने की पुष्टि होती है जबकि द्वितीय स्पष्टीकरण पूछने से संबंधित उपायुक्त, गुमला का प्रासंगिक पत्रांक-1807(ii)/गो0, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 आरोपित पदाधिकारी को प्राप्त कराने की पुष्टि नहीं होती है। अतः स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या-7 बसिया प्रखण्ड में 15 पंचायतें हैं जिनके लिए एक करोड़ रू0 प्रति पंचायत की दर से 15 करोड़ रू0 का व्यय लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बसिया प्रखण्ड को पूरे वित्तीय वर्ष में 4.35 करोड़ रू0 उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरूद्ध व्यय की उपलब्धि 4.33 करोड़ रू0 हुई है। अप्रैल-2010 से नवंबर-2010 तक उपलब्धि कम रहने का कारण आवंटन देर से प्राप्त होना तथा वर्षा ऋतु में मजदूरों का अभाव रहा है। उपायुक्त, गुमला से

प्राप्त मंतव्य में इन तथ्यों का खण्डन तो नहीं किया गया है परंतु वर्ष 2010-11 के प्रथम छः माह में मनरेगा योजना की वित्तीय उपलब्धि तथा मानव दिवस सृजन की उपलब्धि तथा मानव दिवस सृजन की उपलब्धि लक्ष्य से कम रही है। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या-8. समीक्षा से स्पष्ट है कि योजनाओं के निरीक्षण पर आधारित निरीक्षण टिप्पणी/प्रतिवेदन जिला कार्यालय को नियमित रूप से भेजने संबंधी कोई स्पष्ट प्रमाण आरोपित पदाधिकारी उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आरोपित पदाधिकारी की कारण-पृच्छा में केवल योजनाओं की संख्या का उल्लेख है। अतः आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोप संख्या-9. आरोप को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य के रूप में बसिया प्रखण्ड में आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल में संधारित मस्टर रोल प्राप्ति/निर्गत पंजी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः साक्ष्य के अभाव में तथा उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के आलोक में यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या-10. आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव-बयान में स्वीकार किया गया है कि स्वीकृत योजनाओं में से वृक्षारोपण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत योजना में कार्यारंभ निरीक्षण/जाँच के पूर्व ही प्रारंभ हो गयी थी। अतः यह आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या-11. आरोपित पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में जिला स्तर से प्राप्त निदेश का अनुपालन करने का कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। उनके कारण पृच्छा में केवल योजनाओं को पूर्ण कर अभिलेख बंद करने की उपलब्धि का उल्लेख है। जिला स्तर से दिए गए निदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई थी तो जिला स्तर पर इसकी सूचना औचित्य के साथ देना चाहिए था। परंतु आरोपित पदाधिकारी ने जिला स्तर से प्राप्त निदेश तथा स्मार की अनेदखी की गयी है। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या-12. आरोप पत्र तथा आरोपित पदाधिकारी के कारण पृच्छा से स्पष्ट है कि अभिकरण कार्यालय के ज्ञापांक-1217, दिनांक 19 जून, 2010 द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण का जवाब आरोपित पदाधिकारी ने उपायुक्त, गुमला को नहीं भेजा है। अभिकरण कार्यालय के

ज्ञापांक-2386(ii), दिनांक 22 नवम्बर, 2010 द्वारा दूसरा स्पष्टीकरण विभिन्न बिन्दुओं पर प्र0वि0पदा0, बसिया से माँगी गयी थी, जिसका जवाब आरोपी पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-921(ii), दिनांक 07 फरवरी, 2010 द्वारा समर्पित किया था। अतः स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

श्री किशोर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, प्रमाणित आरोपों हेतु असैनिक सेवाएँ(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(5) के तहत् श्री किशोर को संकल्प निर्गत की तिथि से तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें सेवा-संहिता के नियम-96 के तहत् मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलंबन अवधि के बाद जहाँ इनका पदस्थापन होता है, इनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दो साल तक इनके कार्यकलापों पर विशेष निगरानी रखा जाएगा एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 760—50 ।